पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.

राजस्व अपील प्रकरण संख्या :6/2021 Gcms No. 2021/

दायरा तिथि : 30.07.2021

निर्णय दिनांक: 30.07.2021

अपीलार्थी :–

नथाराम पुत्र दुदारामजी जाति जणवा चौधरी
निवासी धणी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

रेस्पोडेन्टसः

1.रूपाराम पुत्र हीराजी

2. भोमाराम पुत्र चेनाजी जातिगण कुम्हार
निवासीगण धणी तहसील बाली जिला पाली (राज0)

3. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

–:: निर्णय ::– दिनांक : 30-7-2021

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी नथाराम ने प्रार्थना पत्र पेश किया कि ग्राम धणी में स्थित भूमि खसरा नंबर 571 रकबा 0.42 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल व खसरा नंबर 592 रकबा 0.65 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल रकबा 1.07 हैक्टर के सह खातेदार टीपूदेवी पुत्र गणेश व सवाराम पुत्र गणेश कुम्हार निवासी धणी से उनका हिस्सा (1/6 +1/6) = 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्ट्री दिनांक 8.07.2020 से अपीलार्थी द्वारा खरीद किया गया। बेचान रजिस्ट्री के आधार पर दाखिल नामान्तरकरण संख्या 1240 दिनांक 2.9.2020 से संपुर्ण रकबा भूमि में मेरा नाम दर्ज कर दिया गया है। जो नामान्तरकरण संख्या 1240 दिनांक 2.9.2020 त्रुटिपुर्ण होने से निरस्त कर अपीलार्थी नथाराम पुत्र दुदाजी चौधरी का 1/3 हिस्सा, भोमाराम पुत्र चेना शांति,हंजा,नेनू,राजू,कमला पुत्रिया चेना,वनीदेवी पत्नि चेना 1/3 हि. जाति कुम्हार, रूपाराम, नाथुराम,भरतकुमार, पेपी पिसरान् हीराजी जाति कुम्हार 1/3 हिस्सा दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थन पत्र के समर्थन में प्राथी द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि की जमाबंदी, बेचान रजिस्ट्री की प्रति, नामा0करण संख्या 1240 की प्रति पेश की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। मामला नामान्तरकरण से सबंधित होने से राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रेस्पोडेन्ट पक्षकारान् के भी सहमति के तौर पर हस्ताक्षर करवाये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उललेखित तथ्यो एवं प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य बेचान रजिस्ट्री दिनांक 09.07.2020, नामान्तकरण संख्या 1240 दिनांक 2.9.2020 एवं राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2072 से 2075, नवीन जमाबंदी संवत् 2076 से 2076 में उल्लेखित इन्द्राजो का अवलोकन किया गया। उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन के पश्चात् प्रथम दृष्टया प्रकरण में यह प्रमाणित हैं कि नामान्तरकरण संख्या 1240 दिनांक 2.9.2020 बेचान रजिस्ट्री दिनांक 09.7.2020 के अनुसार नही भरा गया। बेचान रजिस्ट्री के अनुसार खातेदार सवाराम पुत्र गणेश व टीपुदेवी पुत्री गणेश ने वर्णित भूमि में निहित अपना संयुक्त 1/3 हिस्सा का बेचान अपीलार्थी को किया, परन्तु नामान्तरकरण संख्या 1240 दिनांक 02.09.2020 से संपुर्ण भूमि में अपीलार्थी का नाम दर्ज कर दिया है। अपीलार्थी स्वयं इस तथ्य को अपील में स्वीकार करता है तथा इसकी पुष्टि रेकर्ड से होने से अपील अपीलान्ट धारा 75 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार की जाती हैं। ग्राम धणी का नामान्तरकरण संख्या 1240 दिनांक 02.09.2020 स्वीकृति दिनांक 06.10.2020 ग्राम धणी के खसरा नंबर 571 व 592 कुल रकबा 1.07 हैक्टर की सीमा तक निरस्त किया जाता हैं। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 1240 दिनांक 02.09.2020 स्वीकृति दिनांक 06.10.2020 की प्रति तहसीलदार, बाली को भिजवाई जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि धणी के खसरा नंबर 571 व 592 के संबध में बेचान रजिस्ट्री अनुसार अपीलार्थी के नाम 1/3 हिस्से का नामान्तरकरण नये सिरे से दायर कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 30-7-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner